फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), सादुलशहर

अमृतपाल सिंह आदि बनाम जगमेल सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत . धारा 212 आरटीए

प्रकरण संख्या 028/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु... की तामिल में जारी...
यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता जगनंदन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अधिवक्ता/प्रार्थीगण ने मय शपथ पत्र अनुरोध किया कि प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का है तथा आवेदकगण के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। अतः आवेदकगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुना गया। पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्राथमिक दृष्टि से सतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त चक 5 एलएजी के खाता संख्या 17/11 प०न० 29/155, मु०न० 30 कि०न० 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल 20 किता में 3.795 है० एवं चक 5 एलएजी के खाता संख्या 16/10 प०न० 29/155 मु०न० 30 कि०न० 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल खाता 10 किता में 2.530 है०, चक 1 एसडीपी के खाता संख्या 62/50, प०न० 39/163 मु०न० 18 कि०न० 3 ता 25 कुल खाता 23 किता में 5.819 है० नहरी आराजी जो विवादित है, का आगामी पेशी 30.03.2020 तक बेचान नही करे। अप्रार्थीगण को 24 घण्टे के अन्दर रजिस्टर्ड एडी० नोटिस जारी किया जावें जिसके लिए प्रार्थीगण के अधिवक्ता रजिस्टर्ड एडी की रसीद आइन्दा तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावे। अप्रार्थीगण के उपस्थित होनें पर प्रार्थी के अधिवक्ता बहस करनें हेतु बाध्य होगे यदि बहस नहीं की जाती है, तो अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.03.2020 को पेश हो। 15.3.2020 (हवाई सिह यादव) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर 30/03 पत्रावली पेश हुई ... हाजिर ...	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.08.24 16:57:28 IST
Reason: SelfAttested